

**कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल**

क्रमांक 782/23/आउशि/अनु.ब./18

भोपाल, दिनांक 13/04/2018

प्रति,

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
म0प्र0

2. प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
म0प्र0

विषय:- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों/कीड़ा अधिकारी/ग्रंथपालों को वरिष्ठ श्रेणी/प्रवर श्रेणी/चतुर्थ पे-बैंड एवं तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमोन्तति/समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने पर ऐरियर्स एवं अन्य भत्तों की राशि आवंटित करने बाबत।

संदर्भ:- म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 73-5/2014/38-3 दिनांक 19/20.03.15 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1401/260/अनु/16 दिनांक 09.08.16

—00—


प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महावि. रीवा के ईमेल/पत्र क्रमांक 61 दिनांक 06.04.18, प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महावि. उज्जैन के ईमेल/पत्र क्रमांक 342 दिनांक 07.04.18 एवं प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महावि. इन्दौर के ईमेल/पत्र क्रमांक 625 दिनांक 07.04.18 द्वारा लेख किया गया है कि निम्नलिखित महाविद्यालयों को इस कार्यालय के विभिन्न आदेशों द्वारा स्वीकृत राशि का कई महाविद्यालयों को राशि का आवंटन होने के पश्चात् भी वित्त विभाग की सीलिंग होने के कारण गत सत्र में भुगतान नहीं हो सका। अतः निम्नलिखित महाविद्यालयों के प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी, संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कॉलम-5 अनुसार राशि स्वीकृत करते हुए आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	महावि. का नाम	आदेश क्रमांक	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान सत्र में स्वीकृति योग्य राशि
1	2	3	4	5
1	य.प्र.शा. महावि. सेमरिया	4045/315/अनु/17 दि. 30.11.17	5633498	5633498
2	सुदर्शन महावि. लालगांव	4139/315/अनु/17 दि. 14.12.17	10447653	10447653
3	सुदर्शन महावि. लालगांव	4088/830/अनु/16 दि. 05.12.17	23666761	23666761
4	सांदीपनी महावि. उज्जैन	3995/830/अनु/16 दि. 21.11.17	12049997	(शेष राशि) 2876729
5	जय जवान महावि. तराना	3995/830/अनु/16 दि. 21.11.17	2236400	2236400
6	प.म.बा.गुजराती वाणिज्य महावि. इन्दौर	4114/830/अनु/16 दि. 13.12.17	6573991	6573991
7	प.म.बा.गुजराती कला/विधि महा.इन्दौर	102/23/अनु/18 दि. 16.01.18	36169771	35868110
8	प.म.बा.गुजराती विज्ञान महावि. इन्दौर	4298/830/अनु/16 दि.28.12.17	5947857	5947857
9	इस्लामिया करीमिया महावि. इन्दौर	102/23/अनु/18 दि. 16.01.18	11510382	11510382
10	सेवा सदन महावि. बुरहानपुर एवं एस.जी. जे.क्यू महावि. बुरहानपुर	56/830/अनु/16 दि. 06.01.18	12041406	(शेष राशि) 941215
		कुल योग		105702596

(दस करोड़, सत्तावन लाख, दो हजार, पांच सौ छियानवे मात्र


- शैक्षणिक अधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा-पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधिनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।
- आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु तत्कालीन म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर की गई नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को देय राशि का ही आहरण किया जावे।
- आवंटित राशि से केवल ऐरियर का ही भुगतान किया जावे, अन्य किसी भी राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के बिना न किया जावे।
- अनुदान प्राप्त अशासकीय संगीत महाविद्यालय के शैक्षणिक अमले एवं अशैक्षणिक अमले को छठवां गैर यू.जी.सी. वेतनमान में उपरोक्त आदेशों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।
- उक्त आवंटित राशि से सम्बंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए इनके विवेकानुसार जाँच हेतु खुले रहेंगे।

6. उपरोक्त आवंटित राशि से यदि किसी को अनियमित भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक वर्ग/प्राचार्य/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं शिक्षा अधिकारी की होगी।
7. आवंटित राशि का व्यय, बजट शीर्ष 44-2202-03-104-3444-0102-42-002 वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
8. संबंधित प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय आपको आवंटित राशि 05 कार्यदिवस में आहरित/भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को एरियर्स का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।
आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।


 (डॉ० सुषमा दुबे)
 अपर संचालक (वित्त)
 उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
 भोपाल, दिनांक 13/04/2018

पृ.क्रमांक 783/23/आउशि/अनु.ब./18
 प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.कक्ष, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 (डॉ० सुषमा दुबे)
 अपर संचालक (वित्त)
 उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
म0प्र0 (कॉलम 06 के अनुसार)

2. प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
म0प्र0 (कॉलम 02 के अनुसार)

विषय:- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों/कीड़ा अधिकारी/ग्रंथपालों को वरिष्ठ श्रेणी/प्रवर श्रेणी/चतुर्थ पे-बैंड एवं तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने पर एरियर्स एवं अन्य भत्तों की राशि आवंटित करने बाबत।

संदर्भ:- म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 73-5/2014/38-3 दिनांक 19/20.03.15 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1401/260/अनु/16 दिनांक 09.08.16

क्र	महाविद्यालय का नाम	महावि. का पत्र क्रमांक /दिनांक	वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी/चतुर्थ पे-बैंड के एरियर्स हेतु मांग की गई राशि	तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान के एरियर्स हेतु मांग की गई राशि	आहरण एवं सवितरण अधिकारी का नाम एवं कोड	एरियर्स भुगतान हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
11	श्री वर्धमान कन्या महा. अशोकनगर	134/12.12.17	640152	---	शा0 नेहरू डिग्री महावि अशोकनगर4703802001	646152
	योग					646152

(छह लाख, छियालीस हजार, एक सौ बावन मात्र)


- शैक्षणिक अधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा-पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधिनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।
- आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु तत्कालीन म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर की गई नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को देय राशि का ही आहरण किया जावे।
- आवंटित राशि से केवल एरियर का ही भुगतान किया जावे, अन्य किसी भी राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के बिना न किया जावे।
- अनुदान प्राप्त अशासकीय संगीत महाविद्यालय के शैक्षणिक अमले एवं अशैक्षणिक अमले को छठवां गैर यू. जी.सी. वेतनमान में उपरोक्त आदेशों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।
- उक्त आवंटित राशि से सम्बंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए इनके विवेकानुसार जाँच हेतु खुले रहेंगे।
- उपरोक्त आवंटित राशि से यदि किसी को अनियमित भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक वर्ग/प्राचार्य/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं शिक्षा अधिकारी की होगी।
- आवंटित राशि का व्यय, बजट शीर्ष 44-2202-03-104-3444-0102-42-002 वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- संबंधित प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय आपको आवंटित राशि 05 कार्यदिवस में आहरित/भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को एरियर्स का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।
आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।

(डॉ० सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक 785 /23/आउशि/अनु.ब./18
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13/04/2018

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
7. प्रभारी अधिकारी,आई.टी.कक्ष,उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(डॉ० सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश